

५८

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक ३०.०१.२०१६

फ्रमांक एफ-७-२७/२०.१.३/सात-१ : छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क. २० सन् १९५९) की धारा-२ की उप-धारा (१) के खण्ड (य-४) हारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वाया, नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित निम्नलिखित राजस्व ग्रामों को जगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करती है, अर्थात्:-

तालिका

संक्र.	राजस्व ग्राम	पटवारी हत्का नंबर	च.नि.मं. का नाम	तहसील	ज़िला	जगरीय का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छत्तौन्ना	16	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	सम्पूर्ण राजस्व ग्राम
2.	बवागांव	22	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
3.	रीको	21	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
4.	सेंध	21	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
5.	चीचा	17	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
6.	कोट्याभाग	20	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
7.	कर्याबांधा	18	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
8.	झांझा	18	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
9.	सख्ती	19	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
10.	बवागांव	18	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
11.	खपरी	18	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
12.	बरौदा	17	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
13.	रमचंपडी	17	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—
14.	बूता	20	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
15.	उपरवारा	20	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
16.	खण्डवा	22	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—
17.	माना	56	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा ओवेशानुसार,

(चंद्रकांत उड़ेक)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर**  
//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 07 MAR 2015

क्रमांक एफ-7-27 / 2013/सात-1 :-छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959(क्र. 20 सन् 1959) की धारा-2 की उपधारा (1) के खण्ड (य-4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के काँलम (2) में यथा उल्लिखित निम्नलिखित राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :-

**तालिका**

संक्र.	राजस्व ग्राम	पटवारी नंबर	हल्का	रो.नि.मं. का नाम	तहसील	जिला	नगरीय क्षेत्र का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	मंदिर हसौद	16	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	संपूर्ण राजस्व ग्राम	
2.	कुहेरा	19	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—	
3.	कोटनी	20	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—	
4.	तांदुल	20	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—	
5.	पलौद	21	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—	
6.	उमरिया	23	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—	
7.	परसदा	25	मंदिर हसौद	आरंग	रायपुर	—तदैव—	
8.	बेन्द्री	18	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
9.	परसट्ठी	18	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
10.	निमोरा	19	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
11.	केन्द्री	21	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
12.	झांकी	21	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
13.	भेलवाडीह	22	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
14.	पचेड़ा	26	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
15.	कुर्झा	27	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
16.	चेरिया	28	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
17.	बंजारी	28	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
18.	तेन्दुआ	28	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
19.	पौता	28	नवापारा	अभनपुर	रायपुर	—तदैव—	
20.	सेरिखेड़ी	42	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—	
21.	नकटी	42	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—	
22.	धरमपुरा	54	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—	
23.	टेमरी	54	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—	
24.	बनरसी	55	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	—तदैव—	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा अम्बेशानुसार

(चंद्रकांत उड्ढले)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH  
REVENUE & DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT  
MANTRALYA  
MAHANADI BHAWAN, NAYA RAIPUR

07 MAR 2013

F 7-27/2013/Seven-1 :: In exercise of powers conferred by clause(z-4) of sub -  
section(1) of section 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1959(No. 20 of  
1959), the State Government, hereby, declares the following revenue village  
mentioned in column (2) of the table below as urban area, namely:-

TABLE

S.NO.	Revenue Village	Patwari halka no.	Name of Revenue Inspector circle	Tahsil	District	Extension of Urban Area
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mandirhasaud	16	Mandirhasaud	Arang	Raipur	All Revenue Village
2	Kuhera	19	Mandirhasaud	Arang	Raipur	--do--
3	Kotni	20	Mandirhasaud	Arang	Raipur	--do--
4	Tandul	20	Mandirhasaud	Arang	Raipur	--do--
5	Palaud	21	Mandirhasaud	Arang	Raipur	--do--
6	Umariya	23	Mandirhasaud	Arang	Raipur	--do--
7	Parsada	25	Mandirhasaud	Arang	Raipur	--do--
8	Bendree	18	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	--do--
9	Parastthi	18	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	--do--
10	Nimora	19	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	--do--
11	Kendri	21	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	--do--
12	Jhanki	21	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	--do--
13	Bhelwadih	22	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	--do--
14	Pacheda	26	Navapara	Abhanpur	Raipur	--do--
15	Kurru	27	Navapara	Abhanpur	Raipur	--do--
16	Cheriya	28	Navapara	Abhanpur	Raipur	--do--
17	Banjari	28	Navapara	Abhanpur	Raipur	--do--
18	Tendua	28	Navapara	Abhanpur	Raipur	--do--
19	Paunta	28	Navapara	Abhanpur	Raipur	--do--
20	Serikhedi	42	Raipur-I	Raipur	Raipur	--do--
21	Nakti	42	Raipur-I	Raipur	Raipur	--do--
22	Dharampura	54	Raipur-I	Raipur	Raipur	--do--
23	Temari	54	Raipur-I	Raipur	Raipur	--do--
24	Banarsi	55	Raipur-I	Raipur	Raipur	--do--

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh

(Chandrakant Uike)

joint secretary

Government of Chhattisgarh  
Revenue & Disaster Management Department

परिषिक्षा पट्टा - एक

नया रायपुर अन्तर्गत आने वाले तहसील, रा.नि.मं., प.ह.नं., ग्राम की सूची

तहसील	रा.नि.म.	प.ह.नं.	ग्राम का नाम
1.	2.	3.	4.
आरंग	मंदिरहसौद	16	मंदिरहसौद छतौना
		17	बरौदा रमचण्डी चीचा
		18	नवागांव खपरी कयाबांधा झांझा
		19	राखी कुहरा
		20	कोटराभाठा कोटनी
		20	तांदुल
		21	पलौद सँध रीको
		22	नवागांव
		23	उमरिया
		25	परसदा
रायपुर	रायपुर 1	42	सेरीखेड़ी नकटी
		54	धरमपुरा टेमरी
		55	बनरसी
		56	माना
		18	बेन्द्री परसटठी
अभनपुर	अभनपुर	19	निमोरा
		20	उपरवारा तूता
		21	केन्द्री झांकी
		22	भेलवाडीह खण्डवा
		26	पचेडा
		27	कुर्स
		28	चेरिया बंजारी तेन्दुवा पौता
नवापारा			

# नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

पर्यावास मवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19 नया रायपुर (छत्तीसगढ़) 492002  
फोन.नं. 0771-2511500, फैक्स नं.0771-2511400 ई. मेल - ceo@nayaraipur.com

क्रमांक ४४/ ५(१) / यो.ज.नि.प्र. / 2018  
प्रति,

नया रायपुर दिनांक ३०/०१/२०१८

- ✓ 1. संयुक्त निर्देशक,

गृह मंत्रालय

जनगणना कार्य निर्देशालय छत्तीसगढ़  
गोविंद सारंग परिसर, तृतीय तल, न्यू राजेन्द्र नगर  
रायपुर - 492006

2. कलेक्टर

कार्यालय, कलेक्टर, रायपुर  
जिला-रायपुर छ.ग.



विषय :- रायपुर, अभनपुर एवं आरंग के अन्तर्गत आने वाले 41 राजस्व ग्रामों की सांविधिक स्थिति स्पष्ट करने संबंधी।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक आई - 110011 / १/२०१८ - जन.-डीसीओ (छ०ग०)/H/  
1307 दिनांक 12.01.2018

—००—

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार है-

छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक 37 दिनांक 20 जून 2002 (अनुसूची-1) तथा अधिसूचना क्रमांक 322 दिनांक 19 फरवरी 2007 (अनुसूची-2) को नया रायपुर क्षेत्र का परिसीमन किया गया है। नया रायपुर क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की सूची अनुसूची-3 में लगी है।

छ.ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक 1385 दिनांक 07 जुलाई 2006 (अनुसूची-4) द्वारा विशेष क्षेत्र का नाम "राजधानी क्षेत्र" के स्थान पर "नया रायपुर" किया गया। दिनांक 30 जनवरी 2014 एवं 07 मार्च 2015 को अधिसूचित 41 ग्राम नया रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

उपरोक्तानुसार जानकारी जनगणना की आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :-

1. अधिसूचना क्रमांक 37 दिनांक 20 जून 2002
2. अधिसूचना क्रमांक 322 दिनांक 19 फरवरी 2007
3. 41 राजस्व ग्रामों की सूची।
4. अधिसूचना क्रमांक 1385 दिनांक 07 जुलाई 2006

महाप्रबंधक (प्रशासन)  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी  
नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. ४४/१-५- / यो.न.नि.प्र. / एन.आर.डी.ए. / 2018 नया रायपुर, दिनांक ३०/०१/२०१८

प्रतिलिपि-

सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग (नोडल विभाग जनगणना), महानदी भवन नया रायपुर, छ.ग. को सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक (प्रशासन)  
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी  
नया रायपुर (छ.ग.)

(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीपत मुपर धर्मन पावर प्रोबेक्ट निर्माण हेतु।
204	0.032	(3) भूमि के नदरी (झाव) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
206	0.138	(राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
207	0.081	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
208	0.101	आर. पी. घण्टल, कलेक्टर एवं पर्देनरप-सचिव.
215	0.102	
216	0.809	
90/23	1.619	
योग	33	8.823

### विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर (छत्तीसगढ़)

रायपुर, दिनांक 20 जून 2002

क्रमांक 37.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) को धारा 69 (ख) सहपठित्वा पारा 15 उपचार (३) वा. निवेश में संवत्सरायात्रा का ज्ञानकारी हेतु इह प्रकाशित किया जाता है कि: भूख्य कार्यपालन अधिकारी राजेधनी क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी, मानचित्र तथा रजिस्टर तट्टुसार सम्बन्धी होते अंगीकृत किया जावार इस सूचना को प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। यह प्रकाशन इस बात का निर्चालन सम्भव होगा कि उक्त पानचित्र तथा रजिस्टर सम्बन्धी रूप से तैयार कर अंगीकृत किये गये हैं।

#### राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण में स्थित ग्रामों की सूची

आपस्य तहसील :—कोटाबांधा, मंदिरहसीद, छत्तीना, रीको, रमचंडी, बरोदा, चीचा, कायाबांधा, झाँझ, राड्डी, नवांगांव, खपरी, नवांगांव, संधु, परसदा, कोटनी, पल्लौद, कुहेगा, तांदुल, गुजरा, धंमनी, गन्नोद, रीवां, खुटेरी, जंरौद, कुस्त, दरवा, नकटा, बकतरा, उमरिया।

अभ्यन्तर तहसील :—तूता, उपरवारा, खंडवा, केन्द्री, चेंदुआ, चौता, बंजारी, खरखाडीह, नवांगांव, चेरिया, कुर्ल, पचेहा, मुडपार, उर्फ भेलवडीह, झाकी, बकतरा, सिंगारभाठा, बैन्द्री, निर्मीरा, परसदटी।

रायपुर तहसील :—भटगांव, माना, घनेली, बोरियाकला, टेमरी, बनासी, धरमपुरा, सेरीखेडी, नकटी, कचना, तुलसी, पिरदा।

उक्त अंगीकृत मानचित्र तथा रजिस्टर दिनांक 28-6-2002 से 5-7-2002 तक कार्यालय-भूख्य कार्यपालन अधिकारी, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मंत्रालय खवन के पीछे, रायपुर में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर, अन्य सार्वजनिक दिनों में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे।

सही।  
(संबंधी शुब्लां)  
भूख्य कार्यपालन अधिकारी,

आवास एवं पर्यावरण विभाग,  
डी.कॉ.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

## // अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 19/02/2007.

क्रमांक- 322

/ 1274 / 32 / 2002 छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग रायपुर दिनांक 8 जनवरी, 2002 द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-10/स.आ.प्र. / 2002 क्षेत्र को अपवर्जित करती है। पुनर्गठित नया रायपुर क्षेत्र की सीमा नीचे अनुसूची-एक में दिये गये गये अनुसार होगी।

### अनुसूची- एक

नया रायपुर क्षेत्र से अपवर्जित किया गया क्षेत्र :-

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) के अंतर्गत गठित नया रायपुर क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम कचना, पिरदा, तुलसी, कुरुद, नकटा, दरबा, बकतरा (प.ह.न.-75/10), खुटेरी, जरौद, रीवा, गुजरा, धमनी, थनौद, खरखराडीह, नवागांव (प.ह.न.-142), बकतरा (प.ह.न.-134), सिंगारभाठा, भटगांव, धनेली एवं बौरियाकला।

### अनुसूची- दो

पुनर्गठित नया रायपुर क्षेत्र की सीमाएँ :-

उत्तर :

तहसील रायपुर के ग्राम सेरीखेड़ी तथा तहसील आरंग के ग्राम मंदिरहसौद, छतौजा, नवागांव (प.ह.न.-75/10) परसदा एवं उमरिया की उत्तरी सीमा।

पूर्व :

तहसील आरंग के ग्राम उमरिया, परसदा, पलौद, कोटनी तांदुल एवं पौता, तथा अभनपुर तहसील के ग्राम चेरिया, कुर्ल एवं पचेड़ा की पूर्वी सीमा।

दक्षिण :

तहसील अभनपुर के ग्राम केन्द्री, झांकी, मुड़पार एवं पचेड़ा की दक्षिणी सीमा।

पश्चिम :

तहसील रायपुर के ग्राम सेरीखेड़ी, धरमपुरा, टेमरी, बनरसी, माना एवं अभनपुर तहसील के ग्राम निमोरा, बेन्द्री, केन्द्री, एवं झांकी की पश्चिमी सीमा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा ओदेशानुसार,

(एस.एस. बजाज)

विशेष सचिव,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, रायपुर

नया रायपुर अन्तर्गत आने वाले तहसील, रा.नि.मं., प.ह.नं., ग्राम की सूची

तहसील	रा.नि.मं.	प.ह.नं.	ग्राम का नाम
1.	2.	3.	4.
आरंग	मंदिरहसौद	16	मंदिरहसौद छतौना
		17	बरौदा रमचण्डी चीचा
		18	नवागांव खपरी कंयाबोधा झाङ्झा
		19	राखी कुहेरा
		20	कोटरामाठा कोटनी
		20	तांदुल
		21	पलौद सेंध रीको
		22	नवागांव
		23	उमरिया
		25	परसदा
रायपुर	रायपुर 1	42	सेरीखेड़ी नकठी
		54	धरमपुरा टेमरी
		55	बनरसी
		56	माना
अभनपुर	अभनपुर	18	बेन्द्री परसट्ठी
		19	निमोरा
		20	उपरवारा तूता
		21	केन्द्री झांकी
		22	भेलवाडीह खण्डवा
		26	पचेड़ा
		27	कुर्स
		28	चेरिया बंजारी तेन्दुवा पौता
नवापारा			

मूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य शासन एवंद्वारा यावद् विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण को पुष्टि करता है तथा सुचित करता है कि यह उपांतरण यावपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा।

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2006

क्रमांक -1320/1132/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 मन् 1973) की धारा 23 (क) की उपाया (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 1111/32/2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी।

#### विकास योजना रायपुर (उपांतरित) 2011 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रक्कड़ा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तेलोवांधा प. ह. नं. 113	502/1	0.186 योग	आवासीय	विशेषोकृत वाणिज्यिक (प्रेस)

मूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य शासन एवंद्वारा यावपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण को पुष्टि करता है तथा सुचित करता है कि यह उपांतरण यावपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा।

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2006

क्रमांक 1364/1022/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 मन् 1973) की धारा 23 (क) की उपाया (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 1700/1022/32/2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया जा रहा है। इसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी।

#### रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रक्कड़ा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पुंगा प.ह.नं. 113	331/1 का भाग, 331/2, 425, 424, 423, 420, 418, 454, 452, 451, 45 का भाग, 447, 44 1, 446/2,	9.650	कृषि	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	परैना प. ह. नं. 113	439 का भाग	0.368 योग 10.018	कृपि	भाग

मूल्यना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः राज्य शासन एतद्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा।

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2006

क्रमांक 1385/1274/32/2002.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) को धारा 64 को उपधारा (1) तथा धारा 65 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा अधिसूचना क्र. 10/स/आ.प./2002 रायपुर दिनांक 8 जनवरी 2002 में निम्नांकित संशोधन करता है :—

1. उक्त अधिसूचना के द्वारा गठित विशेष क्षेत्र को "राजधानी क्षेत्र" के स्थान पर "नया रायपुर" के नाम से जाना जायेगा।
2. उक्त विशेष क्षेत्र हेतु गठित "राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण" को अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (1) के अंतर्गत "नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी" के नाम से जाना जायेगा।

Raipur, the 7th July 2006

No. 1385/1274/32/2002.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 64 and sub-section (1) of Section 65 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) the State Government hereby makes the following amendments in the Notification No. 10/स/आ.प./2002 dated 8th January 2002 :—

1. That the special area constituted by the said notification shall be known as "Naya Raipur" in place of "Capital Area".
2. That the "Capital Area Development Authority" constituted for such special area shall be known as "Naya Raipur Development Authority" under sub-section (1) of Section 65 of the Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से नथ: आनंदशानुभव  
एस. एस. बजाज, विधायक मंत्री

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्घ/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अगस्त 2018 — भाद्रपद 6, शक 1940

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2018

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-131/2008/32. — छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1385/1274/32/2002 दिनांक 07 जुलाई, 2006 में निर्मांकित संशोधन करता है:-

1. उक्त अधिसूचना के द्वारा गठित विशेष क्षेत्र को “नया रायपुर” के स्थान पर “अटल नगर” के नाम से जाना जायेगा।
2. उक्त विशेष क्षेत्र हेतु गठित “नया रायपुर डेवलपमेंट अथारिटी” को अधिनियम की धारा 65 (1) के अंतर्गत “अटल नगर विकास प्राधिकरण” अटल नगर, जिला रायपुर के नाम से जाना जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 1-131/2008/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 28th August 2018

NOTIFICATION

No. F I-131/2008/32.— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 64 & sub-section (1) of Section 65 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 ( No. 23 of 1973) the State Government hereby makes the following amendments in the this Department Notification No. 1385/1274/32/2002, Dated 7th July, 2006 :-

1. That the special area constituted by the said notification shall be known as “Atal Nagar” in place of “Naya Raipur”.
2. That the “Naya Raipur Development Authority” constituted for such special area shall be known as “Atal Nagar Vikas Pradhikaran” Atal Nagar, Dist. Raipur under sub section (1) of Section 65 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
REJINA TOPPO, Additional Secretary.

‘बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.’



पंजीयन क्रमांक  
‘छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.’

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 18 फरवरी 2014 — माघ 29, शक 1935

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2014

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-27/2013/सात-1. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा-2 की उप-धारा (1) के खण्ड (य-4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित निम्नलिखित राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करती है, अर्थात्:-

### तालिका

स. क्र.	राजस्व ग्राम	पटवारी हल्का नंबर	रा. नि. म. का नाम	तहसील	जिला	नगरीय क्षेत्र का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	छत्तौना	16	मंदिरहसीद	आरंग	रायपुर	सम्पूर्ण राजस्व ग्राम
2.	नवागांव	22	मंदिरहसीद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
3.	रीको	21	मंदिरहसीद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
4.	सेंध	21	मंदिरहसीद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
5.	चीचा	17	मंदिरहसीद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
6.	कोटराभाठा	20	मंदिरहसीद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
7.	कथाबांधा	18	मंदिरहसीद	आरंग	रायपुर	---तदैव---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	झाँझ	18	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	सम्पूर्ण राजस्व ग्राम
9.	रखी	19	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
10.	नवगांव	18	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
11.	खपरी	18	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
12.	बरेदा	17	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
13.	रमचण्डी	17	मंदिरहसौद	आरंग	रायपुर	---तदैव---
14.	तूता	20	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	---तदैव---
15.	उपरवारा	20	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	---तदैव---
16.	खण्डवा	22	अभनपुर	अभनपुर	रायपुर	---तदैव---
17.	माना	56	रायपुर-1	रायपुर	रायपुर	---तदैव---

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चंद्रकांत उड़िके, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 30th January 2014

#### NOTIFICATION

No. F 7-27/2013/seven-1.— In exercise of the powers conferred by clause (z-4) of sub-section (1) of Section 2 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, declares the following revenue villages mentioned in the table below as urban area, namely :-

TABLE

S. No.	Revenue Village (1)	Patwari Halka No. (2)	Name of Revenue Inspector circle (4)	Tahsil (5)	District (6)	Extension of Urban Area (7)
1.	Chhatauna	16	Mandirhasaud	Arang	Raipur	All revenue village
2.	Navagaon	22	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
3.	Reeko	21	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
4.	Saindh	21	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
5.	Chicha	17	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
6.	Kotrabhatta	20	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
7.	Kyabandha	18	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
8.	Jhanjh	18	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
9.	Rakhi	19	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
10.	Navagaon	18	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Khapri	18	Mandirhasaud	Arang	Raipur	All revenue village
12.	Baraoda	17	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
13.	Rmchandi	17	Mandirhasaud	Arang	Raipur	---do---
14.	Tuta	20	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	---do---
15.	Uparvara	20	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	---do---
16.	Khandva	22	Abhanpur	Abhanpur	Raipur	---do---
17.	Mana	56	Raipur-1	Raipur	Raipur	---do---

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
CHANDRAKANT UIKE, Joint Secretary.